न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
57/19	23.7.19	18.1.22

उनवान

1. डुंगरराम पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासी वार्ड सं0–24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– प्रार्थीः–

बनाम

1. यादराम पुत्र श्री विजयराम
2. लल्लूराम पुत्र श्री विजयराम
3. महोदव पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासीयान वार्ड–24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
4. गणेशराम पुत्र प्रेमराम जाति भाट साकिन देवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
5. रोहताश पुत्र केहरसिंह जाति अहीर निवासी नायुपुर तहसील व जिला गुडगावा प्रान्त हरियाणा।
6. पीएनबी बैक शाखा खैरथल जरिये शाखा प्रंबधक बैक शाखा खैरथल जिला अलवर राजस्थान
7. एसबीआई बैक शाखा खैरथल जरियें शाखा प्रबंधक एसबीआई बैक शाखा खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरियें श्रीमान उपपंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगणः–

दावा तकासमा अन्तर्गत धारा 53मय हुकमइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री धीरसिंह चौधरी वकील वादी की ओर से।
2–श्री मुकेश सैनी प्रतिवादी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णय 18.1.22

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खाता सं0 339 मे वर्णित आराजी ख0न0 3314 रकबा 0.4200 हे0 व खाता नं0 340 में वर्णित आराजी ख0न0 3124 रकबा 0.3300 , 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29 , 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे0 किता 07 रकबा 3.2900 हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है आराजी उक्त वाद में विवादित कहलावेगी।

खाता सं0 339 में वर्णित आराजी ख0न0 3314 रकबा 0.4200 हे0 वादी का 1/4 दर 29/30 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 3 का 3/4 दर 29/30 हिस्सा , प्रतिवादी स0 4 का 1/30 हिस्सा व खाता सं0 340 में वर्णितआराजी ख0स0ख0न0 3124 रकबा 0. 3300 , 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29 , 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे0 किता 07 रकबा 3.2900 हे0 में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 1लगा0 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 का आराजी ख0न0 3124 रकबा 0.3300 हे0 में से 1/4 हिस्सा है जो प्रतिवादी लल्लूराम ने अपना उक्त हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 को बेचान कर किया है, स्थित वाके ग्राम खैरथल किशनगढबास जिला राजस्थान का कब्जा काश्त खातोदारी का है इसी कदर प्रार्थी व प्रतिवादीगण सं0 1लगा05 अपने–अपने हिस्से आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त रहककर कर रहे है। तथा वादी उक्त आराजी के अपने हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहा है। वादी की खातेदारी की आराजी से प्रतिवादी सं0–1 लगा0 5 अथवा अन्य किसी का किसी प्रकार संबध नही है। आराजी विवादित अबट आराजी है जिसका तकासमा प्रार्थी व प्रतिवादी 1 लगा0 5 के मध्य नही किया हुआ है। शामलात काश्त कर रहे है। प्रतिवादी 1 लगा0 05 को आराजी का तकासमा कराने को कहा तो झगडा फिसाद करने पर उतारू हो गये। ऐलानिया धमकी दी है।जिसके कारण प्रार्थी आराजी विवादित का खातानुसार व हिस्सेनुसार आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाना चाहते है। एवं प्रतिवादीगण समस्त जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित खाता सं0 339 मे वर्णित आराजी ख0न0 3314 रकबा 0.4200 हे0 व खाता नं0 340 में वर्णित आराजी ख0न0 3124 रकबा 0.3300 , 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29 , 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे0 किता 07 रकबा 3.2900 हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान प्रतिवादी सं0–1 लगा0 5 दीगर जगह पर रहन, बय आदि से मुन्तकिल ना करे वादी के हिस्से की आराजी के आवागमन में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना करें, ना ही किसी प्रकार का निमार्ण आदि ना करे, ना ही वादी को आराजी के उनके हिस्से से जबरन बेदख लना करे वादी के हिस्से में बाई वो कुदरती

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पैदावार का नष्ट ना करें, आराजी अबट को प्रविवादी सं0 8 व 9 को पाबन्द फरमाया जावें कि वो आराजी विवादित की बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजात पंजीबद्व ना करें ना ही राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिर्वतन ना करें मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत की स्थिति बनाई रखी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी नं0 1 लगा0 3 का जवाब पेश किया तथा शेष अप्रार्थीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया कि आराजी विवादित की मोके पर कब्जानुसार कुर्रे कायमी कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र वादी मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील वादी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द फरवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि दिनांक 23.3.19 को जारी आदेश में अप्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से तक पाबंद किया गया ना कि अप्रार्थीगण के हिस्से पर पाबन्द किया है तथा मूल दावे में मौके अनुसार कुर्रे कायम के आदेश पारित हो चुके है। अतः प्रार्थना पत्र वादी मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 23.7.19 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी के हिस्से पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है। चूंकि अब मोके अनुसार कुर्रे कायम के आदेश पारित हो गयें। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनी एवं न्यायसंगत प्रतीत नही होता ।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 212 आर0टी0एक्ट बाबत आराजी विवादित खाता सं0 339 मे वर्णित आराजी ख0न0 3314 रकबा 0.4200 हे0 व खाता नं0 340 में वर्णित आराजी ख0न0 3124 रकबा 0.3300 , 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29 , 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे0 किता 07 रकबा 3.2900 हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्व नही होने के कारण न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 23.7.19 अपास्त किया जाता है।पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)